

Emergency

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (अनूपम)

अनापदी रद्द अभिलेख बाढ़ सं. 247 / 2016-17

बाढ़ का प्रारंभ - बिहार (आरक्षक) भूमि सुधार अधिनियम 1956 की धारा 24 के तहत जारी एन फॉरफॉर्ड से संबंधित।

23/7/16

आरक्षक सरकार के आदेश सं. 2074/एड, दिनांक 13.05.2016 पर आधारित की अनापदी निर्देशक, मू-अनूपम-रड-विशेष लिखित आदेश एन सु. आर. विभाग सं. 11/20-5-आनूपम(वि)-115/85/2308/एड, दिनांक 02.09.1985 पर एन सु. एडि. अनापदी निर्माण के संबंध में एन-आर/एड दिनांक 08.12.1995 में लिखित आदेश के अन्वय में अनापदी रद्द आदेश जारी भूमि की अनापदी की गयी अनारक्षित की जाय प्रस्ताव की गई। अनापदी रद्द करने हेतु अनापदी रद्द आदेश निर्देशक द्वारा प्रेषित किया गया है कि निर्माण-दस्तावेजों की मू -

मू. सं. 01/16/81, प्लॉट नं. 182, आर. सं. 62

आरक्षक सरकार के आदेश की तरफ से एन सु. आदेश सं. 1/00/अनूपम/वि. अनापदी रद्द आदेश

अनापदी रद्द आदेश सं. 01/16/81, प्लॉट नं. 182, आर. सं. 62

अनापदी रद्द आदेश सं. 01/16/81, प्लॉट नं. 182, आर. सं. 62

अनापदी रद्द आदेश सं. 01/16/81, प्लॉट नं. 182, आर. सं. 62

अनापदी रद्द आदेश सं. 01/16/81, प्लॉट नं. 182, आर. सं. 62

अनापदी रद्द आदेश सं. 01/16/81, प्लॉट नं. 182, आर. सं. 62

अनापदी रद्द आदेश सं. 01/16/81, प्लॉट नं. 182, आर. सं. 62

अनापदी रद्द आदेश सं. 01/16/81, प्लॉट नं. 182, आर. सं. 62

अनापदी रद्द आदेश सं. 01/16/81, प्लॉट नं. 182, आर. सं. 62

अनापदी रद्द आदेश सं. 01/16/81, प्लॉट नं. 182, आर. सं. 62


अनापदी रद्द आदेश सं. 01/16/81, प्लॉट नं. 182, आर. सं. 62

9/8/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिश तामिला के पश्चात प्राप्त हुआ। जमाबन्दी रैयत से वंशज द्वारा न्यायलय में उपस्थित होकर लगान रशीद/दलील/खतियान एवं अन्य कागजात की छाया प्रति समर्पित किये हैं। परन्तु उनके द्वारा उपरोक्त भूमि से संबंधित किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित नहीं किया गया है जो उनकी दावे की पुष्टि करता हो।

अतः ऐसी परिस्थिति में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा ककी जाती है।

अग्रतर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाप्तार्त्ता धनबाद को भेजे।

  
अंचल अधिकारी,  
बलियापुर।

अचल अधिकारी का जमाखत राजिनापुर

बाद जमिलेख संख्या- 247 / 2016 (अनुसूचित प्रा. 1950 B.L.R. Act, 1950)

मुहर

बनाम

अहमद मर्ही पि० अहमद मर्ही  
सा. 0 लडाफा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि जमा- लडाफा जमा नं०- 182  
खाला नं०- 62 खसरा नं०- - रकम 1.00 लिखित आपके नाम से  
80 नं०- सा. 0 के पंजी- II नाम सा. 0 के दूध पर 2016 जमाबंदी प्रथम दृष्टया  
राजस्व कर्मचारी ने अचल निरीक्षक के माध्यम से जी. ए. ए. के माध्यम से जमाबंदी का निरीक्षण किया है।

अतएव आप उक्त संदेश में दिनांक- 9/8/16 को सनद- 11/80 बजें पूर्वदिन में उक्त  
भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित कुमुमनाम, मूलभूत जमाबंदी द्वारा निर्गत जमाबंदी  
रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमाबंदी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व  
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य जस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त  
भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अवोहरताबंदी के कार्यालय प्रकाश में उपस्थित  
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त जमाबंदी में आपको कुछ  
नहीं कहना है तथा उपरोक्त दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए  
दर्ज जमाबंदी के संबंध में सुचित-युक्त निर्णय लेते हुए निश्चित अनुसूचित कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जाने।

तिथि-

मुहर

स्थान-

41

अचल निरीक्षक

राजिनापुर

25/8/16

C:\Users\HP\Desktop\binod srivastava case doc

Sudhakar Kumar Maitto

4/08/2016

राजिनापुर जिला  
पो. 0 74 लडाफा मर्ही  
06/8/16